कार्यालय क्षेत्रसंचालक, सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद, म.प्र.

Phone No. 07574-254394 (O) Fax, 07574-252133 E-mail: ddsatnp.hbd@mp.gov.in

पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 5425 होशंगाबाद, दिनांक 20-7-2018

प्रति,

कलेक्टर
होशंगाबाद

विषय :– सतपुडा टाइगर रिजर्व से विस्थापन हेतु सहमत ग्रामों के पुनर्वास हेतु चयनित वनकक्षों में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र देने बावत।

----0----

विषयांतर्गत लेख है कि सतपुडा टाइगर रिजर्व से विस्थापन हेतु सहमत ग्रामों मालनी, खामदा, झालई एवं सुपलई के ग्रामीणों द्वारा पुनर्वास हेतु अलग–अलग स्थानों पर चयनित वनकक्षों में बसने की सहमति दी गई है। इन वनकक्षों की वनभूमि ग्राम विस्थापन के कार्य के लिये प्राप्त करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव तैयार कर भारत शासन को भेजा जाना है।

भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञाप क्र. एफ. नं. 11–9/98– एफ. सी. (पी.टी.) दिनांक 05.07.2013 अनुसार ग्रामीणों द्वारा चयनित वनकक्षों में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत किसी का दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ज्ञाप की प्रति संलग्न है।

सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद से विस्थापन हेतु सहमत ग्रामीणों द्वारा चयनित वनकक्षों में आने वाली ग्राम स्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा उक्त वनकक्षों में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत किसी का दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र दिया गया है। जिसकी जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	परिक्षेत्र	कक्ष क्र.	ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति से प्रमाणपत्र प्राप्त (हां/नही)
1.	मालनी भाग 3	इटारसी	इटारसी	पी.–177	हां
2.	सुपलई भाग 4	इटारसी	इटारसी	पी.–136	हां
3.	सुपलई भाग 1	इटारसी	सुखतवा	पी.–78 पी.–79 एवं पी.–80	हां
4.	मालनी भाग 6	बाबई	सोहागपुर	पी.–190	हां
5.	मालनी भाग 5	बाबई	सोहागपुर	पी.–188	हां
6.	खामदा भाग 1	बाबई	सोहागपुर	पी.–188	हां
7.	सुपलई भाग 3	बाबई	सोहागपुर	पी.–193	हां
8.	सुपलई भाग 2	सोहागपुर	सोहागपुर	पी.–273	हां

D/data/DM Branch/later new 1
14

सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद से विस्थापन हेतु सहमत ग्रामीणों द्वारा चयनित वनकक्षों में आने वाली उपखण्ड स्तरीय वनअधिकार समिति को उक्त वनकक्षों में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत किसी का दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र देने बावत अधीक्षक बोरी अभ्यारण्य इटारसी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी एवं सहायक संचालक सोहागपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होशंगाबाद को लेख किया गया है किन्तु उपखण्ड स्तरीयं वनअधिकार समिति से अभी तक प्रमाण पत्र अप्राप्त है।

अतः सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद से विस्थापन हेतु सहमत ग्रामीणों द्वारा चयनित वनकक्षों में आने वाली उपखण्ड स्तरीय वनअधिकार समिति को उक्त वनकक्षों में वनअधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत किसी का दावा लंबित न होने के संबंध में प्रमाण पत्र देने बावत अपने स्तर से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी एवं होशंगाबाद को लेख करने का अनुरोध है। तदानुसार जिला स्तरीय वनाधिकार समिति से दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

संलग्न :– उपरोक्त कक्षों में ग्राम स्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा दिये गये प्रमाणपत्रों की प्रति (क्षत्रसंचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
होशंगाबाद

D/data/DM Branch/later new 1
15